



## राजस्थान सरकार

## कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

क्रमांक/न्याय/COVID-19/2020/**62**3ठ

दिनांक दु .09.2020

## ः आदेश अन्तर्गत घारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता ः

यतः इंसीडेंट कमाण्डर एवं उपखण्ड मिजस्ट्रेट लालसोट द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में लगातार कोरोना वायरस (COVID-19) पॉजिटिव केसो की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिसके कारण नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में 07 दिवस के लॉकडाउन लगाये जाने का अनुरोध किया है।

ऐसी स्थिति में नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के अत्यधिक संक्रमण फैल जाने की सम्भावना होने से क्षेत्रों के आस-पास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्या सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

अतः मैं पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांकः 5546-47 दिनांक 31.07.2020 की निरन्तरता में आदेश क्रमांक 6147-48 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अनुक्रम सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में 07 दिवस हेतु जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया-जनसाधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेध) घोषित कर तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा जारी करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि :-

- 1. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्रों के दायरे में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे तथा उपरोक्त क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है।
- 2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश 40-3/2020-डीएम-I (ए) दिनांक 29.08.2020 की पालना में गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार राजस्थान के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 30.08.2020 के द्वारा लॉकडाउन/अनलॉक-4 के क्रियान्वयन हेतु जारी गाईडलाईन्स की पालना भी सुनिश्चित की जावें।



- उपरोक्त क्षेत्रों में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर अन्य समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगें।
- 4. उपरोक्त क्षेत्रों में समस्त स्थानीय वाहनो का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। परन्तु उपरोक्त क्षेत्रों में एवं इसके आस-पास के दायरे से गुजर रहे राजमार्ग से जाने वाले साधन अप्रतिबंधित रहेगे।
- 5. आवश्यक व्यवस्थारें बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी/कर्मचारी के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होगे। साथ उपरोक्त क्षेत्रों के दायरे की व्यवस्था से जुडे वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमित प्राप्त वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
- 6. उपरोक्त क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री प्वॉइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उपरोक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करे और ना ही उपरोक्त क्षेत्रों से बाहर निकर्ले।
- 7. यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
- उपरोक्त क्षेत्रों के समस्त चिकित्सालय, मेडीकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुडे हुए व्यक्ति/संस्थान उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेर्गे।
- 9. उपरोक्त क्षेत्रों के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थल की साफ सफाई एवं रख-रखाव हेतु अधिकतम 2 व्यक्तियों को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अविध हेतु अनुमित रहेगी, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने के स्तर पर संधारित होगी।

उपरोक्त क्षेत्रों में संचालित बैंक संस्थान/पोस्ट सेवाओं को आवश्यक सेवा मानते हुये उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।

11. मैं उपरोक्त क्षेत्रों के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु उपरोक्त क्षेत्रों के दायरे के सम्पूर्ण संदर्भित क्षेत्र के मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसारण यंन्त्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक उर्ह्या को १०:बर्ज़ से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

> (पीयुष समारिया) जिला मजिस्ट्रेट, दौसा दिनांक ७.०९.२०२०

क्रमांक/न्याय/COVID-19/2020/ 623) प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. माननीय मुख्य संचिव महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. माननीय प्रमुख शासन् सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर।

4. महानिरीक्षक पुलिस रैंज जयपुर।

5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, .....राजस्थान राज्य।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु :-

पुलिस अधीक्षक महोदय, दौसा ।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा।

- उपखण्ड मिजस्ट्रेट, दौसा/महवा/सिकराय/बांदीकुई/लालसोट/नांगल राजावतान/ रामगढ पचवारा।
- प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा।
- 5. जिला परिवहन अधिकारी, दौसा।
- आयुक्त, नगर परिषद दौसा।
- 7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
- ८. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा।
- 9. जिला आबकारी अधिकारी, दौसा।
- १०.मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, दौसा।
- १ १ . प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलेक्ट्रेट, दौसा।
- 12.अग्रणी जिला प्रबंधक लीड बैंक यूको, दौसा।
- १ ३ . समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण ......जिला दौसा
- १४.समस्त तहसीलदार ......जिला दौसा।
- १ ५ .सचिव कृषि उपज मण्डी समस्त ......जिला दौसा।
- १ ६ .स्टेशन अधीक्षक समस्त...... रेलवे स्टेशन जिला दौसा
- १७७.अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मंडल, लालसोट/ बांदीकुई/ महवा।
- १८.सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, दौसा।
- 19.अति. निजी सचिव जिला कलक्टर/निजी सहायक अति० जिला कलक्टर, दौसा।

20.गार्ड फाईल।



